रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 18, 2000/माघ 29, 1921
No. 114] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 18, 2000/MAGHA 29, 1921

LIBRARY

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2000

प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2000

सा.का.नि. 142(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992(1992 का 15) की धारा 15न तथा 15प के साथ पठित धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः** (1) इन नियमों का नाम प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2000 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**: (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992(1992 का 15) अभिप्रेत है ;

(ख) "न्यायनिर्णायक अधिकारी"से अधिनियम की धारा 15झ की उप-धारा (1)के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "अपील" से अधिनियम की धारा 15न की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई अपील अभिप्रेत है;

(घ) "अपील न्यायाधिकरण" से अधिनियम की धारा 15ट के अधीन स्थापित प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण अभिप्रेत है;

(ड.) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप आभिप्रेत है;

(च) "पक्षकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है तथा इसमें प्रतिवादी शामिल है;

(छ) "पीठासीन अधिकारी" से अधिनियम की धारा 15ठ के अधीन नियुक्त प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) "नियम" से अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(झ) "रजिस्ट्रार" से अपील न्यायाधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(ञ) "रजिस्ट्री" से अपील न्यायाधिकरण की रजिस्ट्री अभिप्रेत है ।

(2.) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992(1992 का 15)में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. **अपील दायर करने की सीमा** : (1) प्रत्येक अपील अपीलार्थी को उस आदेश की प्रति जिस पर अपील दायर की गई हो, की प्राप्ति की तिथि से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर दायर की जाएगी ।

बशर्ते कि अपील न्यायाधिकरण पैंतालीस दिनों की कथित अवधि की समाप्ति के बाद प्राप्त किसी अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपील को उस अवधि के भीतर दायर न करने का पर्याप्त कारण था ।

4. **अपील का प्ररूप तथा दायर करने की प्रक्रिया** : (1) अपील का ज्ञापन अपकृत व्यक्ति द्वारा अपील न्यायाधिकरण की रजिस्ट्री में, जिसकी अधिकारिता के भीतर उसका मामला आता है, इस प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्रार के पते पर रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाएगा ।

(2) डाक द्वारा भेजी गई अपील का ज्ञापन उस दिन, जिसको यह रजिस्ट्री में प्राप्त होती है, रजिस्ट्री में प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा ।

5. **अपील न्यायाधिकरण की बैठकें :** अपील न्यायाधिकरण अपनी बैठकें या तो अपने कार्यालय की अवस्थिति के स्थान पर या अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले ऐसे अन्य स्थान पर करेगा जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण उपयुक्त सुविधाजनक समझे ।

6. **अपील न्यायाधिकरण की भाषा :** (1) अपील न्यायाधिकरण की कार्यवाहियां अंग्रेजी या हिन्दी में संचालित होंगी ।

(2) अपील न्यायाधिकरण द्वारा अंग्रेजी या हिन्दी से भिन्न किसी भाषा में कोई अपील, आवेदन, अभ्यावेदन, दस्तावेज या अन्य विषय तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ उसके अंग्रेजी या हिन्दी में अनुवाद की सत्य प्रति न हो ।

7. **अपील लिखित में की जाएगी :** (1) अपील न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्येक अपील, आवेदन, उत्तर, अभ्यावेदन या दायर अन्य कोई दस्तावेज टाइप किया हुआ, साइक्लोस्टाइल किया हुआ या सफाई से मुद्रित किया तथा दोहरे स्थान में फुलस्केप आकार के अच्छी गुणवत्ता के पृष्ठ के एक तरफ सुपाठ्य होना चाहिए तथा पृथक पत्रों की एक साथ सिलाई की जानी चाहिए तथा प्रत्येक पृष्ठ उप-नियम (2) में उपबंधित तरीके से क्रम से अंकित तथा नत्थी किया होना चाहिए ।

(2) उप-नियम(1) के अधीन अपील एक पेपर बुक में 3 सैटों में, जिसके साथ प्रत्यर्थी के पूरे पते के साथ फाइल के आकार का एक खाली लिफाफा होगा, प्रस्तुत की जाएगी और जहां प्रत्यर्थियों की संख्या एक से अधिक हो वहां अतिरिक्त पेपर बुक जिसके साथ प्रत्येक प्रत्यर्थी के पूरे पते के साथ फाइल के आकार का खाली लिफाफा होगा, पर्याप्त संख्या में अपीलार्थी द्वारा दी जाएंगी ।

8. **अपील के ज्ञापन का प्रस्तुत किया जाना और उसकी संवीक्षा :**

(1) रजिस्ट्रार प्रत्येक अपील पर तारीख पृष्ठांकित करेगा जिसको वह नियम 4 के अधीन प्रस्तुत की गई है या उस नियम के अधीन प्रस्तुत की गई समझी गई है और पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा ।

(2) यदि संवीक्षा करने पर अपील ठीक पाई जाती है तो वह विधिवत् रूप से रजिस्टर की जाएगी और उसे क्रम संख्यांक दिया जाएगा ।

(3) यदि संवीक्षा पर अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है और पाई गई त्रुटि प्ररूपिक प्रकृति की है तो रजिस्ट्रार अपनी उपस्थिति में उस त्रुटि को सुधारने के लिए अपीलार्थी को अनुज्ञात कर सकेगा और यदि उक्त त्रुटि प्ररूपिक प्रकृति की नहीं है तो रजिस्ट्रार त्रुटि को सुधारने के लिए अपीलार्थी को इतना समय अनुज्ञात कर सकेगा जो वह ठीक समझे । यदि अपील डाक द्वारा भेजी गई हो और त्रुटिपूर्ण पाई जाए तो रजिस्ट्रार अपीलार्थी को त्रुटियां संसूचित कर सकता है तथा अपीलार्थी को इतना समय अनुज्ञात कर सकता है जो वह उचित समझे ।

(4) यदि अपीलार्थी उप-नियम(3) में अनुज्ञात समय के भीतर त्रुटि का सुधार करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रार ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश द्वारा ऐसी अपील के ज्ञापन को रजिस्टर करने से इन्कार कर सकेगा तथा अपीलार्थी को सात दिनों के भीतर आदेश संसूचित करेगा।

(5) उप-नियम(4) के अधीन रजिस्ट्रार के आदेश के विरूद्ध अपील ऐसा आदेश किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर संबंधित पीठासीन अधिकारी को, उसके कक्ष में की जाएगी जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

9. **फीस** :(1) प्रत्येक अपील के ज्ञापन के साथ उप-नियम(2) में उपबंधित फीस होगी और ऐसी फीस "रजिस्ट्रार, प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण" के पक्ष में उस स्टेशन पर, जहां रजिस्ट्री स्थित है, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरित रेखांकित मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में भेजी जाएगी ।

(2) (i) अधिनियम के अध्याय VIक के अन्तर्गत किए गए न्यायानिर्णयादेश के विरूद्ध अपील के बारे में संदेय फीस की रकम निम्नलिखित रूप में होगी :-

(2) जहां एक पक्षकार का प्रतिनिधित्व प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है वहां प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के प्राधिकार की एक प्रति तथा ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उसकी लिखित सहमति अपील के साथ संलग्न की जाएगी ।

12. अनेक उपचार : कोई अपील का ज्ञापन उसमें एक से अधिक आदेश के विरूद्ध अनुतोष या अनुतोषों की ईप्सा तब तक नहीं करेगा जब तक प्रार्थित अनुतोष पारिणामिक न हो ।

13. अपील की प्रति प्रत्यर्थी को पृष्ठांकित करना : अपील के ज्ञापन और पेपर-बुक की एक प्रति उसके रजिस्ट्री में पंजीकृत किए जाने के यथाशीघ्र प्रत्यर्थी को दस्ती सुपुर्दगी या रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा रजिस्ट्रार द्वारा भेजी जाएगी ।

14. प्रत्यर्थी द्वारा अपील का उत्तर और अन्य दस्तावेज फाइल किया जाना :

(1) प्रत्यर्थी अपील के ज्ञापन के फाइल किए जाने पर उसे सूचना की तामील के एक मास के भीतर अपील के उत्तर से युक्त तीन पूर्ण सैट दस्तावेजों के साथ पेपर-बुक के रूप में रजिस्ट्री में फाइल करेगा ।

(2) अपील न्यायाधिकरण के समक्ष दायर प्रत्येक उत्तर, आवेदन या लिखित अभ्यावेदन प्ररूप में उपबंधित तरीके से जांचा जाएगा ।

(3) प्रत्यर्थी द्वारा अपील न्यायाधिकरण के समक्ष फाइल किए गए प्रत्येक आवेदन, उत्तर, दस्तावेज अथवा लिखित सामग्री की एक प्रति प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अविलम्ब तामील की जाएगी ।

(4) अपील न्यायाधिकरण स्वविवेकानुसार, प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन किए जाने पर, उप-नियम(1) में निर्दिष्ट उत्तर उसमें निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

15. **सुनवाई की तारीख अधिसूचित किया जाना** : अपील न्यायाधिकरण पक्षकारों को अपील की सुनवाई की तारीख ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसा पीठासीन अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे ।

16. **अपील की सुनवाई** : (1) नियत दिवस पर या किसी अन्य दिन जिस के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई हो, अपील के पक्ष में अपीलार्थी की सुनवाई की जाएगी । तब प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण, यदि आवश्यक हो, अपील के विरूद्ध बोर्ड या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की सुनवाई करेगा तथा ऐसे मामले में अपीलार्थी उत्तर देने का हकदार होगा । अपील की सुनवाई के समय के दौरान लिखित तर्क समयबद्ध मौखिक तर्कों के साथ अनुपूरित किए जा सकेंगे ।

(2) यदि किसी स्थिति में अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपील की सुनवाई के समय प्रस्तुत नहीं होता तो प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण अपील को गुणों के आधार पर खारिज़ कर सकता है ।

बशर्ते कि जहां अपील को ऊपर की व्यवस्था के अनुसार खारिज़ किया गया है तथा अपीलार्थी इसके उपरान्त प्रस्तुत होता है तथा प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण को सन्तुष्ट करता है कि उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण था जबकि अपील की सुनवाई हुई थी, प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण एकपक्षीय आदेश को दरकिनार करते हुए एक आदेश करेगा तथा अपील को पुनर्जीवित करेगा ।

17. **पीठासीन अधिकारी और पक्षकारों के प्रतिनिधियों के लिए पोशाक संबंधी विनियम :**

(1) पीठासीन अधिकारी की पोशाक सफेद कमीज के ऊपर काले कोट के साथ सफेद या धारीदार या काली पतलून तथा काली टाई या ऊपर तक बटनों वाला काला कोट होगी । स्त्री पीठासीन अधिकारियों की दशा में, पोशाक सफेद साड़ी के ऊपर काला कोट होगी ।

(2) पक्षकार के संबंधी या नियमित कर्मचारी के अतिरिक्त, प्रत्येक प्राधिकृत प्रतिनिधि अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी व्यावसायिक पोशाक, यदि कोई हो, में प्रस्तुत होगा तथा यदि कोई ऐसी पोशाक नहीं है, तो पुरूष पतलून के ऊपर सूट या ऊपर तक बटनों वाले कोट में या राष्ट्रीय पोशाक जो धोती या चूड़ीदार पायजामे पर एक लम्बा ऊपर तक बटनों वाला कोट है,में तथा स्त्री सफेद या अन्य किसी शालीन रंग की साड़ी या अन्य किसी शालीन पोशाक के ऊपर कोट में प्रस्तुत होगी ।

(3) अपील न्यायाधिकरण के समक्ष हाजिर होने वाले सभी अन्य व्यक्ति उचित पोशाक में रहेंगे ।

18. आदेश हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस पर तारीख डाली जाएगी :

(1) अपील न्यायाधिकरण का प्रत्येक आदेश पीठासीन अधिकारी द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षरित किया जाएगा । पीठासीन अधिकारी को लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के अध्यधीन अन्तरिम आदेश या निषेधादेश जिन्हें वह न्याय हित में आवश्यक समझे, पारित करने की शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(2) आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण की बैठक में सुनाया जाएगा ।

19. आदेशों का प्रकाशन : अपील न्यायाधिकरण के ऐसे आदेश जो किसी प्रामाणिक रिपोर्ट या प्रेस में प्रकाशन के लिए ठीक समझे जाएं, ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो अपील न्यायाधिकरण अधिकथित करें, ऐसे प्रकाशन के लिए दिए जा सकेंगे ।

20. आदेशों की संसूचना : अपील न्यायाधिकरण द्वारा उसके समक्ष की गई किसी अपील पर पारित किए गए प्रत्येक आदेश की प्रमाणित प्रति बोर्ड, संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी तथा पक्षकारों को, जैसी भी स्थिति हो, संसूचित की जाएगी ।

21. कुछ मामलों में आदेश और निर्देश : अपील न्यायाधिकरण ऐसे आदेश कर सकेगा या ऐसे निर्देश दे सकेगा जो उसके आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए या उसकी आदेशिका के दुरूपयोग का निवारण करने के लिए या न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं ।

22. अभिलेखों का निरीक्षण करने और उसकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए फीस :

(1) अपील के पक्षकार द्वारा लंबित अपील के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए न्यूनतम एक सौ रुपए के अध्यधीन रहते हुए, निरीक्षण के प्रत्येक घण्टे या उसके भाग के लिए बीस रुपए की फीस प्रभारित की जाएगी ।

(2) अपील के पक्षकार को,अपील के अभिलेख उपलब्ध करने के लिए फोलियो या उसके भाग के लिए, जिसमें टाइप का कार्य नहीं है, पांच रुपए की फीस और फोलियो या उसके भाग के लिए, जिसमें विवरणी और अंकों को टाइप करना सम्मिलित है, दस रुपए की फीस प्रभारित की जाएगी ।

23. **अपील न्यायाधिकरण के काम के घण्टे :** (1) अपील न्यायाधिकरण के कार्यालय में, उस स्थान जहां अपील न्यायाधिकरण का कार्यालय स्थित है, में केन्द्र सरकार के कार्यालयों के समान ही सार्वजनिक तथा अन्य अवकाश होंगे ।

(2) अपील न्यायाधिकरण पीठासीन अधिकारी द्वारा किए गए किसी अन्य आदेश के अधीन रहते हुए, प्रतिदिन दस बजे पूर्वाह्न से 6.00 अपराह्न तक खुला रहेगा। किन्तु कोई कार्य, जब तक वह आवश्यक प्रकृति का नहीं, किसी काम के दिन 4.30 अपराह्न के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(3) अपील न्यायाधिकरण की बैठक के घण्टे पीठासीन अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए, सामान्यतया 10.30 पूर्वाह्न से 1.00 अपराह्न तक और 2.00 अपराह्न से 5.00 अपराह्न तक होंगे ।

प्ररूप

(नियम 4 देखें)

अपील का ज्ञापन

अपील न्यायाधिकरण के कार्यालय में प्रयोग के लिए

रजिस्ट्री में प्रस्तुतीकरण की तारीख

डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख

पंजीकरण संख्या

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार

प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण के समक्ष
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 (1992 का 15) के विषय में

और

---------- द्वारा ---------- को किए गए आदेश के विरूद्ध अपील के मामले में

क.ख.- अपीलार्थी
ग.घ. और अन्य - प्रत्यर्थी(यों)